


फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमेश कुमार सिंह 2.वर्तमान धारित पद— अधीक्षक
3.वर्तमान वेतन 17940/- 3600/- ग्रेड पे अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2017

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	-	(1) खसरा नम्बर 292/2/2/2 में से अंशभाग रकवा-185.87 वर्ग मीटर. ग्राम- खजूरी कलां वि.खण्ड-फन्दा भोपाल (म.प्र.)	क्रय मूल्य रु.1.50 लाख वर्तमान मूल्य लगभग रु.2.50 लाख	श्रीमती संगीता सिंह (पत्नी)	स्वयं की बचत एवं पिताजी के सहयोग से। श्रीमती सुनीता गुप्ता से दिनांक 4.3.10 को क्रय की गई।	कुछ नहीं	संचालनालय के पत्र क्र. 207/06.01.2017 के तारतम्य में प्रेषित है।
		(2) खसरा नम्बर 398/1, 399, 400, 403 में से अंशभाग रकवा-139 वर्ग मीटर. ग्राम-चीचली वि.खण्ड-फन्दा भोपाल (म.प्र.)	क्रय मूल्य रु.4.575 लाख वर्तमान मूल्य लगभग रु.5.00 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की बचत एवं पिताजी के सहयोग से। श्री गोविन्द सिंह मीना से दिनांक 25.3.14 को क्रय की गई।		
		(3) खसरा नम्बर 542/2, 543/1, 548/2, 559, 464/2, कुल रकवा 1.270 हेक्टेयर में से 74.34 वर्ग मीटर ग्राम-नीलबड़ वि.खण्ड-फन्दा भोपाल (म.प्र.)	क्रय मूल्य रु.3.00 लाख वर्तमान मूल्य लगभग रु.3.50 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की बचत एवं पिताजी के सहयोग से। श्री इमरतलाल से दिनांक 15.7.14 को क्रय की गई।		
<p>- जहां लागू न हो काट दीजिए। - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय। -उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है। टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।</p>						<p>हस्ताक्षर  नाम- रमेश कुमार सिंह पद- अधीक्षक संचालनालय न0प्र0 एवं विकास</p>	